दि एम.पी.स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन
पंचानन भवन, तृतीय मंजिल,मालवीय नगर, भोपाल

Phone: 2761392/2551652/2551756/2556857; FAX 2557305
Email: mpsaidc@sancharnet.in

वर्ष 2011–12 के लिये
प्रमाणित बीज प्रदाय हेतु
रेट कान्ट्रेक्ट आफर डाक्यूमेंट
(आरसीओ)

उपमहाप्रबंधक (उद्यान)

दि एम.पी.स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन
पंचानन भवन, तृतीय मंजिल,मालवीय नगर, भोपाल

वर्ष 2011–12 के लिये प्रमाणित बीज प्रदाय हेतु
रेट कान्ट्रेक्ट ऑफर डाक्युमेंट (आरसीओ)

ऑफर पत्र प्राप्त करने की निर्धारित समय सीमा	दिनांक 26 मई 2011 अपरान्ह 1.00 बजे तक
पूर्ण ऑफर पत्र टेण्डर बाक्स में प्रस्तुत करने की निर्धारित समय सीमा	दिनांक 26 मई 2011 अपरान्ह 2.00 बजे तक
आफरकर्ता द्वारा प्रस्तुत आफर खोलने की तिथि	लिफाफा क्र. 1 दिनांक 26 मई 2011 अपरान्ह 2.30 बजे

प्राप्त आफर मे से जो आफर लिफाफा क्रमांक 1 में आफरकर्ता द्वारा प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों के आधार पर मान्य होगें उनका लिफाफा क्र. 2 खोलने की जानकारी निगम मुख्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा की जायेगी

उप महाप्रबन्धक (उद्यान)
मध्य प्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम
भोपाल

दि एम.पी.स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन
पंचानन भवन, तृतीय मंजिल,मालवीय नगर, भोपाल

दूरभाष क्रमांक (0755)- 2761392, 2551756, 2551807 फैक्स नम्बर 0755-2557305

वर्ष 2011–12 के लिये प्रमाणित बीज प्रदाय हेतु
रेट कान्ट्रेक्ट ऑफर डाक्युमेंट (आरसीओ)

आफर पत्र क्र. मुख्या/उद्यान/2011–12/ दिनांक ....

आफर पत्र का मूल्य रू. 500.00 प्रति आफर
रू. 550.00 (डाक द्वारा मंगवाने पर)

मेसर्स .... से आर.सी.ओ. के मूल्य हेतु राशि रूपये .... शब्दों में .... मनीरसीद क्रमांक .... दिनांक .... से प्राप्त किये गये ।

उप महाप्रबन्धक (उद्यान)
मध्य प्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम
भोपाल

प्रपत्र क्रमांक 01

दि एम.पी.स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन
पंचानन भवन, तृतीय मंजिल,मालवीय नगर, भोपाल

(राशि रू. 100/.. के नान ज्यूडिसियल स्टाम्प पेपर पर)

वर्ष 2011–12 के लिये प्रमाणित बीज प्रदाय हेतु
आर सी ओ बाबत् सहमति एवं घोषणा पत्र

मैं ....मेसर्स ....की ओर से जो निगम द्वारा आमंत्रित रेट कान्ट्रेक्ट ऑफर डाक्युमेंट में हस्ताक्षर करने हेतु अधिकृत हूँ तथा निगम के आर सी ओ में उल्लेखित शर्तो के अनुसार प्रमाणित सब्जी बीजों के प्रदाय करने हेतु सहमत हूँ ।

दि एम.पी.स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन (निगम) द्वारा हमारे ऑफर को मान्य किये जाने की दशा में आदेशानुसार अनुबंध की समय सीमा में निर्धारित शर्तो एवं मापदण्ड अनुसार निर्धारित दरों पर प्रमाणित बीज समस्त मध्यप्रदेश में प्रदाय हेतु सहमत हूँ । हम आर सी ओ की सभी शर्तो से सहमत हैं एवं तदानुसार प्रदायगी का कार्य करेंगे । यदि अनुबंध उपरांत निगम द्वारा दिये गये आदेशों से संबंधित प्रदायगी में किसी प्रकार की शिकायत आती है अथवा आर सी ओ की शर्तो का उल्लंघन होने से निगम को अथवा उनके हितग्राहियों को हानि होती है तो उस हानि की पूर्ति निगम हमारे द्वारा जमा की जा रही धरोहर राशि रूपये 50,000/– एवं हमारे बिलों से कर सकता है ।

हमारी फर्म किसी भी शासकीय संस्था/उपक्रम/बैंक द्वारा काली सूची में दर्ज नहीं है तथा हमें न ही कभी प्रदाय के लिये दंडित किया गया है तथा इस संबंध में कोई भी कानूनी विवाद किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है ।

संकल्प धन राशि रूपये 50,000/– सुरक्षा निधि के रूप में प्रस्तुत की जा रही है, जो हमारा ऑफर मान्य होने की दशा में धरोहर राशि के रूप में निगम के पास अमानत राशि के तौर पर जमा रहेगी ।

हमारे द्वारा रेट कान्ट्रेक्ट ऑफर की सभी नियम एवं शर्तो को ध्यान पूर्वक पढ़ लिया गया है एवं हम तदानुसार सभी शर्तो पर पूर्ण रूप से सहमत हैं ।

दिनांक : ऑफरकर्ता के हस्ताक्षर
एवं सील

<u>गवाह</u>

.... (हस्ताक्षर)

....

नाम एवं पता

नोट : राशि रूपये 100.00 के स्टाम्प पेपर पर टंकित एवं नोटराईज करा कर प्रस्तुत करना है ।

दि एम.पी.स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन
पंचानन भवन, तृतीय मंजिल,मालवीय नगर, भोपाल

वर्ष 2011–12 के लिए प्रमाणित बीज प्रदाय हेतु
रेट कान्ट्रेक्ट ऑफर डाक्युमेंट (आरसीओ)

निगम द्वारा निर्धारित ओपन एंडेड रेट कान्ट्रेक्ट आफर डाक्यूमेंट में दरें आमंत्रित की जाती है, इस दस्तावेज को आरसीओ के नाम से जाना जावेगा ।

निगम द्वारा सम्पूर्ण मध्यप्रदेश में प्रमाणित बीजों के प्रदाय हेतु ऑफर आमंत्रित किये जाते है । ऑफर से संबंधित सामान्य शर्ते निम्नानुसार है :–

1. आफर प्रस्तुत करने की आहर्ता

ऑफरकर्ता जो निम्नानुसार शर्ते पूरी करता हो :–

(अ) प्रमाणित बीज उत्पादक जो संबंधित राज्य की बीज प्रमाणीकरण संस्था में विधिवत पंजीकृत हों एवं जिनके पास सीड एक्ट 1966 तथा सीड कन्ट्रोल आर्डर 1983 के अनुसार बीज विक्रय का वैध लायसेंस हो ।

अथवा

उक्त (अ) अनुसार आर्हाता की पूर्ति करने वाले बीज उत्पादक द्वारा नियुक्त वितरक जिनके पास सीड एक्ट 1966 तथा सीड कन्ट्रोल आर्डर 1983 के अनुसार बीज विक्रय का वैध लायसेंस हो तथा निगम के रेट कान्ट्रेक्ट ऑफर में भाग लेने हेतु बीज उत्पादक कम्पनी द्वारा जारी वैध अधिकार पत्र होना आवश्यक है । (अधिकार पत्र मूल प्रति में प्रस्तुत किया जाना होगा)

(ब) आफरकर्ता द्वारा जिन प्रमाणित बीजों की दरें प्रस्तुत की जा रही है के संबंध में जिन कृषकों के यहां प्रमाणित बीजों का कार्यक्रम लिया गया है, की सूची जो बीज प्रमाणीकरण संस्था द्वारा सत्यापित हो अथवा कृषकों से उपर्जित मात्रा जो बीज प्रमाणीकरण संस्था द्वारा सत्यापित हो, प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। यदि आफरकर्ता द्वारा अंतिम बीज प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया गया है तो जिन कृषकों के यहां प्रमाणित बीजों का कार्यक्रम लिया गया है, उनकी सूची एवं उपार्जित बीजो की मात्रा की जानकारी दी जाना आवश्यक नही होगी।

(स) अंतिम बीज प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की दशा में आफरकर्ता को अंतिम बीज प्रमाण पत्र की मूल प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा ।

(द) क्रमांक ''ब'' अथवा ''स'' में उल्लेखित दस्तावेजों के अभाव में प्राप्त दरों पर कोई विचार किया जाना संभव नही होगा, अतः केवल उन्हीं बीजों की दरें प्रस्तुत की जाए जिनके संबंध में उपरोक्त क्रमांक ''ब'' अथवा ''स'' अनुसार आवश्यक दस्तावेज संलग्न किये जा सकते हो ।

(इ) आफरकर्ता के आयकर नम्बर (PAN) एवं विक्रय कर विभाग द्वारा जारी टिन (TIN) प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित वैध प्रति ।

2. ऑफर पत्र का क्रय

(अ) निर्धारित आफर पत्र की कीमत रू. 500.00 (वापसी योग्य नही) एवं डाक से मंगाये जाने पर 550.00 रूपये होगा । डाक में किसी प्रकार के विलंब की स्थिति में निगम उत्तरदायी नहीं रहेगा ।

(ब) निर्धारित आफर पत्र उक्त कार्यालय के उप महाप्रबन्धक (उद्यान) कक्ष से दिनांक 26.5.2011 अपरान्ह 1.00 बजे तक क्रय किये जा सकते है ।

(स) आफर में भाग लेने वाले आफरकर्ताओं को निर्धारित आफर पत्र क्रय किया जाना अनिवार्य है । विधिवत रूप से आफर समय पर प्रस्तुत न किये जाने की स्थिति में आफर पर विचार नही किया जावेगा ।

3. दर प्रस्तुत करने संबंधी शर्ते :

अ. ऑफरकर्ता द्वारा प्रत्येक प्रमाणित बीजों के प्रदाय हेतु प्रजातिवार दर परिशिष्ठ क्रमांक 2 अनुसार दिया जाना आवश्यक है ।

ब. ऑफरकर्ता द्वारा निगम को जो दर प्रस्तुत की जावेगी वह 5 प्रतिशत निगम मार्जिन सहित एफ.ओ.आर. विकास खण्ड स्तर तक पहुंचाकर सभी प्रकार के व्यय सहित सम्पूर्ण मध्य प्रदेश हेतु दी जावेगी ।

स. ऑफरकर्ता द्वारा जो दर निगम को ऑफर की गयी है उस पर रेट कान्ट्रेक्ट ऑफर प्रपत्र की शर्त क्रमांक 19 लागू रहेगी ।

द. रेट कान्ट्रेक्ट ऑफर के तहत अनुमोदित दर 31 मार्च 2012 तक लागू रहेगी किन्तु नवीन दरों के निर्धारण तक यदि आवश्यक होगा तो निगम द्वारा अनुमोदित दरों को आगे की अवधि के लिये बढ़ाया जा सकेगा।

ई. ऑफरकर्ता द्वारा दरें अंकों में एवं शब्दों में दिया जाना आवश्यक है। किसी भी विवाद की स्थिति में शब्दों में दी गयी दर को अंतिम मान्य किया जावेगा ।

4. आफर प्रस्तुत करने की प्रकिया :

(अ) एक आफरकर्ता से एक ही आफर स्वीकार किया जावेगा । एक ही आफरकर्ता द्वारा निगम में एक से अधिक फर्मो की ओर से एक ही अथवा अन्य नामो से भाग लिये जाने की जानकारी निगम को प्राप्त होने की दशा में आफरकर्ता द्वारा इस तरह प्रस्तुत सभी आफर अमान्य किये जायेंगे ।

(ब) टेलीग्राफ / फैक्स से प्रस्तुत ऑफर मान्य नहीं किये जावेंगे ।

(स) वित्तीय ऑफर का निर्धारित प्रारूप में परिशिष्ठ कमांक 2 में होना आवश्यक है । शर्त कमांक 4 (ड) तथा आर सी ओ में अन्यत्र कहीं भी उल्लेखानुसार सभी वांछित जानकारियां / दस्तावेज संलग्न किया जाना आवश्यक है । वांछित दस्तावेज प्रस्तुत न किये जाने की दशा में परिशिष्ठ कमांक 1 एवं शर्त कमांक 4 (ड) के आधार पर आफरकर्ता के ऑफर को निरस्त किया जा सकता है ।

(द) ऑफर फार्म सभी प्रकार से पूरा भरा हुआ होना चाहिए । ऑफर से साथ धरोहर राशि के रूप में राशि रूपये 50,000 / — (मात्र पचास हजार रूपये केवल) का बैंक ड्राफ्ट जो एम पी स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज डेव्हलमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड के नाम से भोपाल देय हो, संलग्न होना आवश्यक है । (ऐसे ऑफरकर्ता जिनके द्वारा निगम मुख्यालय में प्रमाणित बीजों के प्रदाय हेतु पूर्व वर्ष में आमंत्रित निविदा के तहत् धरोहर राशि रूपये 50,000 / — जमा कराई गई है एवं वर्तमान में उनकी उक्त धरोहर राशि निर्विवादित निगम में जमा है, को प्रथक से धरोहर राशि जमा करना आवश्यक नहीं है। ऐसे प्रदायक पूर्व में जमा धरोहर राशि का विवरण यथा मनीरसीद कमांक एवं दिनांक का पूर्ण विवरण ऑफर में प्रस्तुत करेंगे)। धरोहर राशि के अभाव में ऑफर किसी भी स्थिति में मान्य नहीं किया जावेगा ।

(ड) ऑफर दो अलग अलग लिफाफे में यथा — ''लिफाफा कमांक 1 तकनीकी विवरण प्रमाणित बीजों के प्रदाय हेतु ऑफर'' तथा ''लिफाफा कमांक 2 वित्तीय आफर प्रमाणित बीजों के प्रदाय हेतु ऑफर'' के रूप में प्रस्तुत किया जाना है । लिफाफे के उपर उपरोक्तानुसार उल्लेख किया जाए ।

लिफाफा 1 में प्रस्तुत किये जाने वाले वाले दस्तावेजो का विवरण —

1. प्रपत्र कमांक 1 के अनुसार निर्धारित प्रारूप में रूपये 100.00 के नान ज्यूडिसियल स्टाम्प पेपर पर सहमति एवं घोषणा पत्र ।
2. वैध सीड्स सेलिंग लायसेंस की स्व प्रमाणित प्रति ।
3. अंतिम बीज प्रमाण पत्र प्रस्तुत नही करने की दशा में बीज उत्पादन कार्यकम हेतु उपयोग में लाये गये आधार बीज के स्त्रोत की जानकारी एवं उसकी पुष्टि से संबंधित दस्तावेज (आधार बीज के कय के देयक / केश मेमों की स्व प्रमाणित प्रतियां प्रस्तुत की जाए (कमांक 1 ब के अनुसार)

4. आफरकर्ता द्वारा प्रमाणित बीजों के लिये प्रमाणीकरण एजेंसी द्वारा जारी किये गये अंतिम बीज प्रमाणपत्र की स्वप्रमाणित प्रति प्रस्तुत करना आवश्यक है। यदि आफरकर्ता अंतिम बीज प्रमाण पत्र आफर के साथ प्रस्तुत नही कर सकते हो तो आफर के साथ प्रमाणित बीज उत्पादन हेतु अनुबंधित कृषकों की संबंधित बीज प्रमाणीकरण संस्था द्वारा प्रमाणित सूची (कमांक 1 ब)।

5 ऑफरकर्ता के आयकर नम्बर (PAN) एवं विक्रय कर विभाग द्वारा जारी TIN प्रमाण पत्र की स्व प्रमाणित वैध प्रति ।

6. ऑफरकर्ता फर्म की और से आफर/दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने हेतु अन्य को दिये गये अधिकार पत्र की मूलप्रति ।

7. शर्त कमांक 1 (ब) अथवा (स), 1 (द, ई एवं फ) में उल्लेख अनुसार वांछित दस्तावेजों की स्वः प्रमाणित प्रति ।

10. रेट कान्ट्रेक्ट ऑफर डाक्युमेंट सभी पृष्ठों पर सील एवं हस्ताक्षर सहित ।

11. धरोहर राशि रूपये 50,000/— शर्त कमांक 4 (द) के अनुसार ।

- लिफाफा क. 1 के ऊपर स्पष्ट शब्दो में *"लिफाफा कमांक 1, संकल्प धन राशि एवं अन्य तकनीकी विवरण प्रमाणति बीजों हेतु आफर"* साफ साफ लिखा जावे ।
- लिफाफा कमांक 2 में परिशिष्ठ क. 2 के अनुसार वित्तीय आफर विधिवत हस्ताक्षर करते हुए तथा आफर दस्तावेज प्रस्तुत किया जावे । लिफाफा कमांक 2 के ऊपर स्पष्ट शब्दो में *" लिफाफा कमांक 2 वित्तीय आफर प्रमाणित बीजों हेतु आफर"* लिखा जावे ।
- उक्त दोनो लिफाफे आपस में बांधकर निर्धारित आफर बाक्स में नियत तिथि 26.5.2011 के अपरान्ह 2.00 बजे के पूर्व निगम के उद्यानिकी कक्ष में रखे टेण्डर बाक्स में प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है ।

5. आफर खोला जाना :

- आफरकर्ताओं द्वारा निर्धारित आफरबाक्स में दिनांक 26.5.2011 अपरान्ह 2.00 बजे तक जो आफर प्राप्त होंगे, में से लिफाफा कमांक 1 दिनांक 26.5.2011 को अपरान्ह 2.30 बजे समिति द्वारा उपस्थित आफरकर्ताओं अथवा उनके मनोनीत प्रतिनिधियों के समक्ष खोले जावेंगे ।

- लिफाफा कमांक 1 के आधार पर योग्य पाये गये आफरकर्ताओं के लिफाफा कमांक 2 समिति के निर्णय अनुसार आफरकर्ताओं अथवा उनके प्रतिनिधि के समक्ष खोले जावेंगे । लिफाफा क. 2 खोलने की तिथि एवं समय की जानकारी निगम के नोटिस बोर्ड पर चस्पा की जायेगी व आफरकर्ताओं अथवा उनके प्रतिनिधियों द्वारा जानकारी लेने पर दी जा सकेगी ।

6. सैंपल प्रस्तुत करने की प्रक्रिया :

आफरकर्ता द्वारा जिन प्रमाणित बीजों की दरें आफर की जायेगी, से संबंधित बीजों के तीन–तीन सेम्पल निगम द्वारा मांगे जाने पर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। निगम द्वारा सेम्पल मांगे जाने पर आफरकर्ता द्वारा सेम्पल प्रस्तुत न किये जाने की दशा में संबंधित बीज प्रजाति का आफर मान्य नहीं किया जायेगा । जमा किये गये सेम्पल वापस नहीं किये जायेगें।

7. सशर्त आफर :

निगम द्वारा निविदा पत्र में उल्लेखित शर्तो के अतिरिक्त किसी भी प्रकार की शर्त मान्य नही की जावेगी । सशर्त आफरो को अमान्य किया जावेगा ।

8. संकल्प धन राशि :

आफरकर्ता को आफर के साथ संकल्प धन राशि के रूप में रू. 50,000/– का बैंक ड्राफ्ट जो एम पी स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड भोपाल के नाम से देय होगा, प्रस्तुत करना आवश्यक है । संकल्प धन राशि के अभाव में प्रस्तुत आफर अमान्य किया जायेगा। (ऐसे ऑफरकर्ता जिनके द्वारा निगम मुख्यालय में प्रमाणित सब्जी बीज के प्रदाय हेतु पूर्व वर्ष में आमंत्रित निविदा के तहत् जमा संकल्प धन राशि जो अनुबंध पश्चात धरोहर राशि के रूप में परिवर्तित की जा चुकी है एवं वर्तमान में उक्त धरोहर राशि निर्विवादित निगम में जमा है, को प्रथक से संकल्प धन राशि जमा कराना आवश्यक नहीं है, ऐसे आफरकर्ता पूर्व में जमा संकल्प धन राशि का विवरण यथा मनी रसीद क्र एवं दिनांक का पूर्ण विवरण आरसीओ में प्रस्तुत करेगें)।

संकल्प धनराशि निम्न स्थितियों में जप्त की जा सकती है :–

1. निगम द्वारा ऑफरकर्ता के ऑफर को स्वीकृत/अमान्य/निरस्त करने के पूर्व अपना ऑफर वापस लिये जाने की दशा में।
2. ऑफर के साथ गलत जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत करने की दशा में।
3. ऑफरकर्ता द्वारा ऐसी कार्यवाही करने पर जिससे निगम की छबि को हानि पहुंचे।

9. ऑफर की वैधता :

प्राप्त ऑफर खोले जाने की तिथि से 180 दिवस तक मान्यता हेतु वैध रहेंगे । अंतिम निर्णय न होने की दशा में इस तिथि के पश्चात भी निगम प्राप्त दरों पर आवश्यक निर्णय ले सकेगा यदि आफरकर्ता ने प्रस्तुत दरों को अमान्य करने हेतु लिखित में निगम को सूचित नहीं किया है ।

10. अनुबंध का निष्पादन :

(अ) निगम द्वारा लिफाफा क्रमांक 2 के आधार पर योग्य पाये गये आफरकर्ता जिसका आफर निगम द्वारा मान्य किया जावेगा, को निगम के साथ निर्धारित प्रारूप (परिशिष्ट क्र. 3) अनुसार राशि रूपये 100/– के गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर पर अनुबंध निष्पादित करना होगा ।

(ब) निगम द्वारा जिन आफरकर्ताओं के ऑफर को मान्य किया जावेगा, को अनुबंध निष्पादित करने हेतु विधिवत सूचना दी जावेगी । यदि ऑफरकर्ता द्वारा निगम द्वारा निर्धारित समय सीमा में निगम के साथ अनुबंध निष्पादित नहीं किया जाता है तो निगम उनके ऑफर को अमान्य करते हुए जमा संकल्प धन राशि को जप्त (Forfite) करने के लिए स्वतंत्र रहेगा ।

(स) अनुबंध 31 मार्च 2012 तक लागू रहेगा। यदि आवश्यक हुआ तो निगम द्वारा नवीन दरों के निर्धारण तक अनुबंध की अवधि में वृद्धि की जा सकेगी ।

11. धरोहर राशि :

(अ) ऑफरकर्ता द्वारा संकल्प धन राशि के रूप में जमा की गयी राशि रूपये 50,000/– ऑफरकर्ता के अनुबंध हस्ताक्षरित करने के पश्चात् धरोहर राशि के रूप में निगम के पास अनुबंध की प्रभावशीलता लागू होने तक जमा रहेगी ।

(ब) अनुबंध की प्रभावशीलता अवधि में कोई विवाद न होनें की दशा में प्रदायक द्वारा लिखित में मांगे जाने पर धरोहर राशि बिना ब्याज के वापस की जा सकेगी ।

(स) धरोहर राशि निम्न स्थितियों में जप्त की जा सकती है :–

(1) निगम आदेश के विरूद्ध निर्धारित समय सीमा में आदेशित सामग्री प्रदाय न किये जाना ।

(2) प्रदाय सामग्री की गुणवत्ता निर्धारित मांपदण्डों के अनुरूप न होनें की दशा में ।

(3) प्रदायक द्वारा ऐसी कोई कार्यवाही करनें पर जिससे निगम की छवि को हानि पहुंचे/निगम को कोई व्यवसायिक हानि हो ।

12. प्रमाणित बीजों के सेम्पल एवं निरीक्षण :

(अ) प्रत्येक लाट से नियमानुसार सेम्पल प्राप्त किया जाएगा। तथा यदि बीजों के संबंध में किसी जिले से शिकायत प्राप्त होती है तो शिकायतकर्ता जिले को जिस लाट से बीज प्रदाय किया गया है उस लाट के नमूनों की जांच शासकीय मान्यता प्राप्त बीज परीक्षण प्रयोगशाला से करायी जाएगी।

(ब) निगम को यह अधिकार होगा कि जो प्रमाणित बीज प्रदाय होना है, के संबंध में पैकिग आदि के कार्य का निरीक्षण निगम चाहे जाने पर कर सकता है। ग्रेडिंग एवं पैकिंग आदि की सुविधा के संबंध में आफरकर्ता द्वारा निगम को जानकरी उपलब्ध कराई जायेगी ।

(स) आफरकर्ता द्वारा सीड एक्ट 1966 एवं सीड्स कन्ट्रोल रूल 1983 के अनुसार निर्धारित मानकों के केवल वही प्रमाणित बीज प्रदाय किये जावेगे जिन्हें संबंधित राज्य की प्रमाणिकरण संस्था द्वारा विधिवत प्रमाणित किया गया है ।

(द) आफरकर्ता द्वारा प्रमाणित बीजों की प्रदायगी से पूर्व संबंधित बीजों के अंतिम बीज प्रमाणपत्र की मूल प्रति निगम को प्रस्तुत की जाना अनिवार्य है। प्रदाय होने वाले प्रमाणित बीजों की वैधता प्रदाय दिनांक से न्यूनतम 6 माह होना आवश्यक हैं । प्रमाणित बीज का पुर्ननविनिकृत स्कंध (Revalidated Stock)

विशेष परिस्थितियों में निगम के प्रबंध संचालक के निर्णय उपरांत ही मान्य किया जावेगा ।

(ई) प्रमाणित बीजों की पैकिंग, शुद्धता, अंकुरण आदि की सम्पूर्ण जिम्मेदारी आफरकर्ता की रहेगी। किसी भी प्रकार की शिकायत प्राप्त होने पर आफरकर्ता द्वारा निरीक्षण कर शिकायत का निराकरण किया जावेगा । प्रमाणित बीज उपयोगकर्ता किसान को दूसरा बीज देने एवं उनके नुकसान की भरपाई आफरकर्ता करेगा ।

(फ) प्रमाणित बीज के प्रमाणीकरण संस्था के निर्धारित मापदण्ड पूरे करने के बाबजूद भी निम्न स्थितियों में संबंधित लाट अस्वीकृत करनें का अधिकार रहेगा :—

1. बीज भीगा होने पर ।
2. प्रदायित बीज अशुद्ध होने पर ।
3. अंकुरण क्षमता के संबंध में प्राप्त शिकायत के प्रमाणित होने पर ।
4. निगम द्वारा मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला में जांच कराये जाने पर गुणवत्ता निर्धारित मानक स्तर से कम रहने की रिपोर्ट प्राप्त होनें पर ।
5. बीज घुना होने की दशा में ।
6. वांछित पैकिंग न होने अथवा पैकिंग खुली/फटी होने की दशा में ।

13. पैकिंग :

(अ) प्रमाणित बीजों की पैकिंग सीड एक्ट/सीड कन्ट्रोल आर्डर एवं सीड सर्टिफिकेशन के अनुसार होना आवश्यक है । सीड पैकैट पर उक्त से संबंधित समस्त जानकारी अंकित होना चाहिए ।

(ब) बीज की पैकिंग उपयोगकर्ता विभाग के चाहे अनुसार होना आवश्यक है । पैकिंग का समस्त व्यय आफरकर्ता द्वारा वहन किया जायेगा ।

14. (अ) निगम द्वारा अनुबंधित प्रदायकों के लिये यह आवश्यक होगा कि वे निगम द्वारा अनुमोदित दरों पर राज्य के शासकीय विभागों/शासकीय उपक्रमों को निगम के माध्यम से ही विधिवत प्रदाय आदेश के जारी होने के उपरांत ही प्रदाय करेंगे । किसी अन्य शासकीय/अर्द्व शासकीय संस्थाओं के माध्यम से प्रदाय किया जाता है तो ऐसे प्रदाय के 3 दिवस पूर्व निगम को जानकारी देना आवश्यक होगा जिससे निगम अपने रिकार्ड में आवश्यक पृविष्ठि कर सके तथा प्रदायक केवल उसी मात्रा में प्रदेश के कृषकों को प्रदाय करे, जिसको प्रदाय करने के लिये वे अधिकृत है । यदि यह पाया जाता है कि प्रदायक द्वारा बिना निगम को जानकारी दिये किसी अन्य विभाग के माध्यम से प्रदाय किया है तथा यह प्रदाय प्रदायक के लिये मान्य अधिकृत मात्रा से अधिक है तो निगम ऐसे प्रदायक की अनुमादित दरों को निरस्त करते हुये जमा धरोहर राशि को जप्त कर सकेगा तथा ऐसे प्रदायक को आगामी 3 वर्ष के लिये प्रदाय से वंचित भी कर सकेगा ।

(ब) बिना विधिवत निगम आदेश के प्रदायक द्वारा सीधे विभागों को प्रदायगी किये जाने की स्थिति में प्रदायक सामग्री के भुगतान/गुणवत्ता या प्रदायगी से उत्पन्न किसी भी प्रकार के विवाद हेतु निगम जिम्मेदार नही रहेगा । ऐसे प्रकरणों में प्रदाय को स्वीकार करना एवं पुष्टि आदेश जारी करनें के लिये निगम के प्रबंध संचालक निर्णय लेने हेतु स्वंतत्र रहेंगे जो प्रदायकर्ता पर बंधनकारी होकर उसे मान्य करना होगा ।

15. प्रमाणित बीज प्रदाय हेतु निर्धारित प्रकिया एवं समय सीमा :

(अ) ऑफरकर्ता द्वारा निगम आदेश के 15 दिवस के भीतर निगम के जिला कार्यालय के माध्यम से आदेशानुसार निर्धारित स्थान पर सामग्री प्रदाय किया जाना आवश्यक है । आवश्यकतानुसार यह सीमा घटाई भी जा सकती है ।

(ब) आदेशित मात्रानुसार सामग्री निगम के जिला कार्यालय के माध्यम से निर्धारित विभाग/स्थान तक पहुंचाने की समस्त जवाबदारी संबंधित प्रदायक की रहेगी ।

(द) प्रदायक द्वारा निर्धारित समय सीमा में सामग्री प्रदाय न किये जाने की दशा में संबंधित कन्साइनमेंट प्राप्तकर्ता विभाग की सहमति से ही मान्य किया जा सकेगा ।

(इ) प्रदायक द्वारा यदि प्रदायगी में विलंब किया जाता है एवं विलंब के कारण विभाग/निगम को हानि होती है तो इस हानि के लिए प्रदायक की जवाबदारी होगी, जिसकी वसूली निगम प्रदायक की धरोहर राशि एवं भुगतान हेतु निगम में प्रस्तुत अन्य देयकों से की जावेगी । हानि की राशि का निर्धारण निगम के प्रबंध संचालक द्वारा किया जावेगा जिसे ऑफरकर्ता द्वारा मान्य किया जावेगा ।

16. आदेश की प्रकिया :

(अ) उद्यान विभाग/अन्य विभागों से प्राप्त मांग के आधार पर आदेश निगम मुख्यालय द्वारा जारी किये जायेंगे ।

(ब) निगम द्वारा जारी आदेश में उल्लेखित प्रदायगी की तिथि/स्थल मे प्राप्तकर्ता विभाग द्वारा परिवर्तन किया जाता है तो विधिवत सूचना प्रदायक को दी जावेगी । प्रदायक द्वारा नवीन शेड्यूल के मान से बीज निर्धारित दर पर प्रदाय करने होगे । उक्तानुसार परिवर्तन होने पर किसी भी प्रकार का अतिरिक्त भुगतान निगम द्वारा प्रदायक को नही किया जावेगा ।

(स) परिवहन के दौरान सामग्री को आग, चोरी, एक्सीडेंट, टूटफूट आदि किसी भी प्रकार से हुए नुकसान की जवाबदारी आफरकर्ता की रहेगी । इस प्रकार से हुए नुकसान की भरपाई आफरकर्ता द्वारा ही पूरी की जाना होगी ।

17. कन्साइनमेंट को स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार :

प्रदायक को आदेशानुसार निर्धारित मापदण्ड की प्रमाणित बीज निर्धारित पैकिग में निर्धारित समय सीमा में प्रदाय किया जाना आवश्यक है । निम्न स्थितियों में प्रदायक द्वारा भिजवाया गया कन्साइनमेंट अस्वीकृत किया जा सकता है –

(अ) प्रमाणित बीज निर्धारित मापदण्ड अनुसार न होने की दशा में ।

(ब) उचित/निर्धारित पैकिग न होने की दशा में ।

(स) निर्धारित समय सीमा समाप्त होने के पश्चात् कन्साइनमेंट प्राप्त होने की दशा में ।

(द) शर्त क 12 (ई) एवं (फ) मे उल्लेखित परिस्थितियों में ।

यदि उक्त कारणो के आधार पर कन्सानइमेंट अस्वीकृत किया जाता है तो उसे निगम द्वारा निर्धारित समय सीमा में प्रदायक को स्वयं के व्यय पर वापिस लेना होगा । किसी भी स्थिति में निगम कन्साइनमेंट वापिस होने से हुए नुकसान के लिए उत्तरदायी नही रहेगा ।

18. भुगतान :

निगम द्वारा "भुगतान पश्चात् भुगतान" की शर्त अनुसार निम्न प्रकार से प्रदायक के देयकों का भुगतान किया जावेगा :–

(अ) प्रदायक के देयक की 80 प्रतिशत राशि का भुगतान आदेशानुसार प्रमाणित बीज निर्धारित स्थान पर प्रदायगी उपरांत विधिवत पावती एवं देयक प्रस्तुत किये जाने पर संबंधित विभाग से निगम को राशि प्राप्त होने की दशा में सामान्यतः 60 दिवस में किया जावेगा ।

(ब) देयक की शेष 20 प्रतिशत राशि का भुगतान देयक के विरूद्ध प्रदायित प्रमाणित बीज के संबंध में संबंधित विभाग से संतुष्टि प्रमाण पत्र प्राप्त होने के उपरांत राशि प्राप्ति के आधार पर सामान्यतः 120 दिवस में किया जावेगा।

19. आफरकर्ता द्वारा जो दरें निगम को प्रस्तुत की है वे दरें न्यूनतम होना आवश्यक है । निगम के साथ हस्ताक्षरित अनुबंध के प्रभावशील रहने तक आफरकर्ता द्वारा अनुमोदित दरों से कम दर पर अन्य संस्थाओं/व्यक्ति/ शासकीय विभाग या उपकम को प्रमाणित बीज का प्रदाय किये जाने की जानकारी निगम के संज्ञान में आती है तो प्रदायक द्वारा निगम के साथ किये गये अनुबंध दिनांक से उक्त स्थिति के प्रमाणित होने तक प्रदाय की गई समस्त सामग्री पर वही कम दर लागू मानते हुये अंतर की राशि की वसूली की जावेगी। साथ ही निगम प्रदायक के अनुबंध को निरस्त करते हुए प्रदायक की धरोहर राशि जप्त करने की कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र रहेगा, जिसके लिए प्रदायक उत्तरदायी रहेगें।

20. आफरकर्ता द्वारा आफर प्रस्तुत किए जाने की दशा में यह मान्य किया जावेगा कि उनके द्वारा आरसीओ भली–भांति पढ लिया गया है एवं वे सभी शर्तो पर सहमत है।

21. आरसीओ के तहत निर्धारित शर्तो के उल्लंघन किए जाने अथवा किसी भी प्रकार की गलत जानकारी /दस्तावेज दिए जाने की दशा में एवं इस बाबत निगम के प्रबन्ध संचालक आफरकर्ता द्वारा प्रस्तुत/स्वीकृत आफर को निरस्त करते हुए उनके द्वारा जमा की गई संकल्प धन राशि/धरोहर राशि जप्त करने के अधिकारी रहेगे । प्रबन्ध संचालक का निर्णय अंतिम होकर बंधनकारी होगा ।

22. राज्य शासन की नीति के तहत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आफरकर्ता जिनके द्वारा जिला उद्योग केन्द्र में विशेष पंजीयन से संबंधित सर्टिफिकेट/अन्य दस्तावेज प्रस्तुत किया जायेगा एवं जो निविदा शर्तो के अनुरूप योग्य पाये जावेगे, को निर्धारित नीति अनुसार व्यवसाय में न्यूनतम 30 प्रतिशत की भागीदारी सुनिश्चित की जावेगी ।

23. प्रंदायक द्वारा प्रदाय सामग्री से संबंधित कोई भी शिकायत प्राप्त होने पर शिकायत के निराकरण के संबंध में प्रंदायक स्तर से कार्यवाही की जाना होगी ।

24. प्रदायक एवं निगम के बीच यदि कोई विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है तो प्रकरण निगम के उपमहाप्रबंधक (उद्यान) को प्रस्तुत किया जावेगा, उनके निर्णय से असंतुष्ट होने की दशा में प्रकरण निगम के प्रबन्ध संचालक को आरबीट्रेटर के रूप में प्रस्तुत किया जावेगा । आरबीट्रेटर के निर्णय से असंतुष्ट होने की दशा में प्रकरण भोपाल जिले के लिये सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत किया जा सकेगा ।

25. निगम के प्रबन्ध संचालक आरसीओ की किसी भी शर्त में आंशिक/पूर्ण परिवर्तन/संशोधन/निरस्त करने के लिए स्वतंत्र रहेगे ।

उपमहाप्रबन्धक(उद्यान)

परिशिष्ठ कमांक 01

आफरकर्ताओं को निर्देश

आफरकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत रेट कान्ट्रेक्ट आफर निम्नांकित परिस्थितियो में निरस्त किया जा सकता है –

1. रेट कान्ट्रेक्ट आफर डाक्यूमेंट नियमानुसार निगम से कय न किये जाने की दशा में
1. शर्त कमांक 1 अनुसार दस्तावेज प्रस्तुत न करने पर ।
2. अर्हता संबंधी शर्त क. 1, शर्त क 4 (ड) तथा रेट कान्ट्रेक्ट आफर डाक्यूमेंट में अन्यत्र कहीं भी उल्लेखानुसार वांछित जानकारी प्रस्तुत न किए जाने की दशा में ।
3. आफर की शर्त क. 8 के अनुसार धरोहर राशि रू. 50,000/– जमा न किये जाने की दशा में ।
4. सशर्त आफर होने की दशा में ।
5. परिशिष्ट क. 2 के अनुसार दर प्रस्तुत न किए जाने की दशा में ।
6. शर्त कमांक 4 (अ) के अनुसार एक ही आफरकर्ता द्वारा एक या अन्य नामों से एक से अधिक आफर प्रस्तुत किए जाने की दशा मे ।
7. एक ही प्रमाणित बीज हेतु एक से अधिक दरें आफर किए जाने की दशा में ।
8. निर्धारित समय के पश्चात् विलंब से आफर प्रस्तुत किए जाने की दशा में ।

उपमहाप्रबन्धक(उद्यान)

परिशिष्ट कमांक–2

दि एम.पी.स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन
पंचानन भवन, तृतीय मंजिल,मालवीय नगर, भोपाल

वर्ष 2009–10 एवं आगे के लिये प्रमाणित बीज प्रदाय हेतु वित्तीय आफर

1. आफरकर्ता का नाम एवं पता ....
(कृपया उस व्यक्ति के नाम एवं पद की जानकारी भी दे जिनसे दूरभाष पर सम्पर्क करना है) ....

दूरभाष कमांक .... मोबाईल नं. ....

2. बीज उत्पादक कंपनी का नाम एवं पता

दूरभाष कमांक .... मोबाईल नं. ....

क.	प्रमाणित बीज	प्रजाति	प्रदाय दर रूपये प्रति किलो सभी कर एवं 10 प्रतिशत निगम मार्जिन सहित एफ.ओ.आर.विकास खण्ड स्तर तक पहुंचाकर		रिमार्क
			अंकों में	शब्दों में	
1	धनिया	गुजरात–1, 2 आरसीआर 436 पंत हरितिमा सिम्पो एस–33 पीएसपीएल आरसीआर–41 जेडी–1 हिसार आनंद (डी एन–5) सिधूलाम (सी एस – 2)			
2	अदरक	सुप्रभा			
3	लहसुन	जी–1 जी–50 जी–282 जी–313 जी–41 सुप्रभा			
4	मैथी	पीईबी			
5	पालक	आल ग्रीन			
6	सेम	कोंकण भूषण पीईबी			
7	बरवटी	पूसा कोमल			
8	मिर्च	पंत सी – 1 पूसा ज्वाला पूसा सदाबहार			

9	लौकी	पूसा नवीन सम्राट पीएसपीएल			
10	करेला	हिरकानी कल्याणपुर सोना कल्याणपुर बारामासी			
11	गिलकी	पूसा सुप्रिया कल्याण पुर हरी चिकनी पूसा चिकनी			
12	मटर	अर्किल एपी–1 ई–6			
13	तुरई	पूसा सुप्रिया हरी रानी			
14	भिण्डी	परभनी क्रांति वर्षा उपहार अरका अनामिका			
15	फ्रेंच बीन्स	अरका कोमल			
16	कद्दू	नरेन्द्र अग्रिम			
17	टमाटर	पंत टी–3 पूसा रूबी			
18	मूली	जापानी व्हाईट पूसा चिकनी			
19	गाजर	अर्ली नांटेस पूसा केसर			
20	तरबूज	शूगर बेबी			
21	बैंगन	पंत सम्राट पंत ऋतुराज नरेन्द्र–1			
22	खीरा	पोइंट सेट पंत खीरा			
23	प्याज	एग्री फाउन्ड लाइट रेड एग्री फाउन्ड डार्क रेड एन–53			
24	हल्दी	रोमा सुरोमा रश्मि			
25	टिण्डा	अरका लुधियाना			

उक्त के अतिरिक्त आफरकर्ता मध्य प्रदेश हेतु मान्य की गई अन्य प्रजातियों की दरें अलग से समान प्रारूप में प्रस्तुत कर सकते है ।

आफरकर्ता के हस्ताक्षर एवं सील

परिशिष्ट क्रमांक–3

:: अनुबंध ::

यह अनुबंध आज दिनांक .... को मध्यप्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम जो कि कम्पनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत गठित शासकीय उपक्रम है तथा आगे इसे ''निगम'' कहा जावेगा एवं मेसर्स .... की ओर से श्री .... जिनके हस्ताक्षर अनुबंध पर है, जिन्हें आगे प्रदायक कहा जावेगी के बीच निष्पादित किया गया है ।

यह कि निगम द्वारा समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित कर प्रमाणित सब्जी बीज_प्रदाय हेतु दिनांक .... को ऑफर आमंत्रित किये गये थे । प्रदायक द्वारा रेट कान्ट्रेक्ट ऑफर (आर.सी.ओ.) क्रय करते हुए आर.सी.ओ. की सभी शर्तो को मान्य करते हुए आर.सी.ओ. में भाग लिया गया है । आर.सी.ओ. डाक्यूमेंटस अनुबंध का हिस्सा है ।

निगम द्वारा पत्र क्रमांक .... दिनांक .... से प्रदायक के ऑफर को मान्य करते हुए अनुबंध करने बाबत् कार्यवाही की गई है ।

निगम द्वारा प्रदायक की जिन प्रमाणित सब्जी बीज हेतु दरों को स्वीकृत किया गया है का विवरण संलग्न परिशिष्ट ''अ'' पर उल्लेखित है की (आर.सी.ओ.) की निर्धारित शर्तो अनुसार निगम को प्रदाय करने हेतु सहमत है ।

निम्नानुसार दस्तावेज/दस्तावेजों में उल्लेखित शर्ते एवं नियम अनुबंध का हिस्सा होंगे एवं अनुबंधकर्ता को मान्य होगें । शर्तो एवं नियमों का अनुबंधकर्ता उल्लंघन करता है तो निगम पूर्ण रूप से आर सी ओ डाक्यूमेंट अनुसार कार्यवाही करने हेतु पूर्ण रूप से अधिकारी रहेगा ।

1. आर.सी.ओ. डाक्यूमेंट में उल्लेखित सभी शर्ते ।
2. प्रदायक का सहमति पत्र दिनांक ....
3. प्रदायक द्वारा प्रस्तुत रेट कान्ट्रेक्ट ऑफर व अन्य जानकारियां ।

उक्तानुसार उल्लेखित दस्तावेज/दस्तावेजों के उल्लेखित नियम व शर्ते अनुबंध का हिस्सा रहेंगे । अनुबंध के संबंध में निगम के प्रबंध संचालक का निर्णय अंतिम ओर मान्य रहेगा।

उक्तानुसार विवरण के आधार पर दोनों पक्ष के मध्य अनुबंध उल्लेखित दिनांक को संपादित किया जाता है ।

उप महाप्रबंधक (उद्यान)

गवाह :

1.

2.

प्रदायक

1.

2.

अनुबंध का परिशिष्ट (अ)

प्रदायक का नाम एवं पता ....

....

फोन नम्बर ....

फैक्स नम्बर ....

मोबाईल नं. ....

क0	प्रमाणित बीज	प्रजाति	प्रदाय दर रूपये प्रति किलो सभी कर एवं 10 प्रतिशत निगम मार्जिन सहित एफ.ओ.आर.विकास खण्ड स्तर तक पहुंचाकर	
			अंकों में	शब्दों में

प्रदायक के हस्ताक्षर
एवं सील

:: अनुबंध ::

राशि रू. 100/.. के नान ज्यूडिसियल स्टाम्प पेपर पर नोटराईज्ड

यह अनुबंध आज दिनांक .26.06.2009 को मध्यप्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम जो कि कम्पनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत गठित शासकीय उपक्रम है तथा आगे इसे ''निगम'' कहा जावेगा एवं मेसर्स .... की ओर से श्री .... जिनके हस्ताक्षर अनुबंध पर है, जिन्हें आगे प्रदायक कहा जाएगा, के बीच निष्पादित किया गया है ।

यह कि निगम द्वारा समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित कर प्रमाणित सब्जी बीज_प्रदाय हेतु दिनांक 17.03.2009 को ऑफर आमंत्रित किये गये थे । प्रदायक द्वारा रेट कान्ट्रेक्ट ऑफर (आर.सी.ओ.) कय करते हुए आर.सी.ओ. की सभी शर्तो को मान्य करते हुए आर.सी.ओ. में भाग लिया गया है । आर.सी.ओ. डाक्यूमेंटस अनुबंध का हिस्सा है ।

निगम द्वारा पत्र कमांक .... दिनांक .... से प्रदायक के ऑफर को मान्य करते हुए अनुबंध करने बाबत् कार्यवाही की गई है ।

निगम द्वारा प्रदायक की जिन प्रमाणित सब्जी बीज हेतु दरों को स्वीकृत किया गया है का विवरण संलग्न परिशिष्ट ''अ'' पर उल्लेखित है की (आर.सी.ओ.) की निर्धारित शर्तो अनुसार निगम को प्रदाय करने हेतु सहमत है ।

निम्नानुसार दस्तावेज/दस्तावेजों में उल्लेखित शर्ते एवं नियम अनुबंध का हिस्सा होंगे एवं अनुबंधकर्ता को मान्य होगें । शर्तो एवं नियमों का अनुबंधकर्ता उल्लंघन करता है तो निगम पूर्ण रूप से आर सी ओ डाक्यूमेंट अनुसार कार्यवाही करने हेतु पूर्ण रूप से अधिकारी रहेगा ।

1. आर.सी.ओ. डाक्यूमेंट में उल्लेखित सभी शर्ते ।
2. प्रदायक का सहमति पत्र दिनांक 26.06.2009
3. प्रदायक द्वारा प्रस्तुत रेट कान्ट्रेक्ट ऑफर व अन्य जानकारियां ।

उक्तानुसार उल्लेखित दस्तावेज/दस्तावेजों के उल्लेखित नियम व शर्ते अनुबंध का हिस्सा रहेंगे । अनुबंध के संबंध में निगम के प्रबंध संचालक का निर्णय अंतिम ओर मान्य रहेगा।

उक्तानुसार विवरण के आधार पर दोनों पक्ष के मध्य अनुबंध उल्लेखित दिनांक को संपादित किया जाता है ।

उप महाप्रबंधक (उद्यान)

गवाह :

1.

2.

प्रदायक

1.

2.